क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफः 470,यू.सी.सी.आई. भवन के पास,मेवाड़ औधोगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)
ई–मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269

No.: RPCB/RO U/UDR/ Dated :

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषयः– मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि., द्वारा प्रस्तावित परियोजना जावर ग्रुप ऑफ अंडरग्राउण्ड लेड जिंक माइंस का विस्तार 4.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 6.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष अयस्क उत्पादन, कुल उत्खनन :7.78 मिलियन टन प्रतिवर्ष (सम्मिलित वेस्ट रॉक :1.28 मिलियन टन प्रतिवर्ष) और अयस्क सज्जीकरण (बेनिफिसियशन) 4.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 7.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष, खनन पट्टा क्षेत्र 3620 हेक्टयेटर **(एम.एल.न0 03/89), ग्राम– जावर, तहसील–गिर्वा एवं सराडा, जिला**–उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि., द्वारा प्रस्तावित परियोजना जावर ग्रुप ऑफ अंडरग्राउण्ड लेड जिंक माइंस का विस्तार 4.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 6.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष अयस्क उत्पादन, कुल उत्खनन : 7.78 मिलियन टन प्रतिवर्ष (सम्मिलित वेस्ट रॉक :1.28 मिलियन टन प्रतिवर्ष) और अयस्क सज्जीकरण (बेनिफिसियशन), 4.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 7.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष, खनन पट्टा क्षेत्र 3620 हेक्टयेटर **(एम.एल.न0 03/89), ग्राम– जावर, तहसील–गिर्वा एवं सराडा, जिला–उदयपुर** हेतु प्रस्तावित परियोजना का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूकिं मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सबन्धित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध हैः–

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर
2) जिला परिषद्, उदयपुर
3) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर
4) उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा/ सराडा जिला–उदयपुर
5) पंचायत समिति, गिर्वा/ सराडा/जयसमन्द जिला–उदयपुर
6) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
7) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए–216, अरन्य भवन, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ–470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई **दिनांक 22.12.2021 (बुधवार) को प्रातः 11:00** A.M. **बजे, ग्राम पंचायत भवन, भालडिया तह. सराडा, जिला–उदयपुर** में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप,**कोविड–19 कोरोना महामारी को ध्यान में रख एवं सामाजिक दूरी , मास्क व सेनेटाइजर का उपयोग करते हुए, Covid appropriate Behaviour की पालना करते हुए प्रस्तुत कर सकते है**

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफः 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास,मेवाड़ औधोगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 की रोकथाम हेतु समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना करना अनिवार्य है।

क्षैत्रीय अधिकारी